

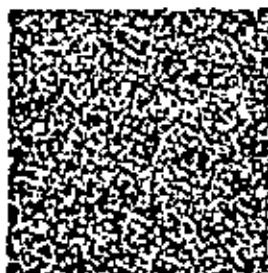


सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP00519021996742M
Certificate Issued Date : 30-Jul-2014 06:49 PM
Account Reference : SHCIL (FI) upshcil017 KANPUR/ UP-KNP
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0100620455428257M
Purchased by : ANAND KUMAR GUPTA SON OF LAXMI NARAIN GUPTA
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : PLOT NO L-01, CHAKERI LIGHT INDUSTRY AND CENTRAL
FUNCTION SCHEME, KANPUR
Consideration Price (Rs.) : 3,52,35,000
(Three Crore Fifty Two Lakh Thirty Five Thousand only)
First Party : KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Second Party : ANAND KUMAR GUPTA SON OF LAXMI NARAIN GUPTA
Stamp Duty Paid By : ANAND KUMAR GUPTA SON OF LAXMI NARAIN GUPTA
Stamp Duty Amount (Rs.) : 24,68,800
(Twenty Four Lakh Sixty Six Thousand Six Hundred only)



986430/2

Please write or type below this line



0000355295

Statutory Alert:

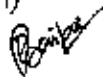
1. The authenticity of this Certificate should be verified at www.shcilstamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website shall be invalid.
2. The issue of this Certificate is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

प्राधिकरण भूमि भवन के फ्री-होल्ड का
विलेख (क्रेता द्वारा) भूखण्ड/भवन के समस्त
मूल्य एवं अन्य देयों के भुगतान के पश्चात्)

कानपुर विकास प्राधिकरण की केन्द्रीय क्रियायें हेतु भूमि/भवन पर निजी
स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्री-होल्ड का यह विलेख सन् 2014 ई० के ~~सितम्बर~~
मास के/६ वें दिन कानपुर विकास प्राधिकरण (जिसको यहाँ आगे चलकर
~~विप्रेर~~ कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा श्री आनन्द कुमार गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मी
नारायण गुप्ता नि० 121 ई-ब्लाक कृष्णा कुन्ज श्याम नगर, कानपुर नगर (जिसको
यहाँ आगे चलकर क्रेता कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।

चूंकि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/भवन प्राधिकरण कार्यालय
के पत्र संख्या डी/113/प्र०अधि०(ब्लक सेल)/का०वि०प्रा०/2010-11 दिनांक
30.12.2010 द्वारा क्रेता को रू० 4650.00 प्रति व०मी० की दर से 3203.13 व०मी०
अर्थात् कुल मूल्य रू० 1,48,94,555.00 केवल (शब्देन रूपया एक करोड़ अड़तालीस
लाख चौसठ हज़ार पांच सौ पचपन केवल)

(जिलाधिकारी की सर्किल दर रू० 10,000.00 + 10% कार्पर चार्ज = 11,000.00 X
3203.13 = 3,52,34,430.00 पर 7% अर्थात् कुल रू० 24,66,500.00 की स्टैम्प ड्यूटी
ली गई है।)











भूखण्ड/भवन स०

एल-01

टाईप-एल

योजना : चकरी

पर आवंटित किया गया है और इस भूखण्ड/भवन को आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन क्रेता को भूखण्ड/भवन से सम्बद्ध भूमि के मूल्य रु० 1,48,94,555.00 केवल (शब्देन रूपया एक करोड़ अड़तालीस लाख चौशानवे हजार पांच सौ पचपन केवल) के 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क रु० 17,87,347.00 केवल (शब्देन रूपया सत्रह लाख सत्तासी हजार तीन सौ सैंतालिस केवल) को भूखण्ड/भवन के मूल्य में सन्निहित करते हुये कुल मूल्य रु० 1,66,81,902.00 केवल (शब्देन रूपया एक लाख छियाछठ हजार इक्कासी हजार नौ सौ दो केवल) पर विक्रय किया जाना है तथा जिसके भुगतान हेतु क्रेता सहमत है और चूंकि क्रेता द्वारा 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क रु० 17,87,347.00 केवल (शब्देन रूपया सत्रह लाख सत्तासी हजार तीन सौ सैंतालिस केवल) का भुगतान विक्रेता को कर दिया गया है जिसकी प्राप्ति एतद् द्वारा स्वीकार करता है।

और चूंकि क्रेता द्वारा भूखण्ड/भवन के कुल निर्धारित मूल्य रु० 1,68,36,262 .00 केवल (शब्देन रूपया एक करोड़ अड़सठ लाख छत्तीस हजार दो सौ बांसठ केवल)



भूमि का मूल्य रु०1,48,94,555.00

ब्याज रु० 19,41,707.00

 कुल मूल्य रु० 1,68,36,262 .00





का भुगतान विक्रेता को कर दिया गया है जिसकी प्रति विक्रेता एलए द्वारा स्वीकार

करता है।

अतः विक्रेता ने करीब इस विवेक की अनुसूची में वर्णित मूखण्ड/भवन

संख्या एल-01 टाईप-एल योजना : चकरी स्थित मोहल्ला कुल क्षेत्रफल

3203.13 वर्गमी० पर आगे अभिलेख अतिक्रम/शर्तों के अधीन

आवासीय/मूख-हाउसिंग/वाणिज्यिक/औद्योगिक/कैदीय क्रियाएँ प्रयोजन हेतु

निली स्थानित देना (फ्री-होल्ड करना) स्वीकार कर लिया है। प्राधिकरण की

महामाजना/आसपास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में इस मूखण्ड/

भवन का आवासीय/मूख-हाउसिंग/वाणिज्यिक/औद्योगिक/कैदीय क्रियाएँ

उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है, अतः विक्रेता द्वारा करीब से यह अपेक्षा की

जाती है कि करीब अनुसूची में वर्णित भूमि/भवन का उपयोग महायोजना में

निर्दिष्ट/आसपास की भूमि के मूख-उपयोग के अनुसार ही करेगा।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय - समय पर

यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अधीन

निष्पादित यह विवेक साक्षी है।



वहना करेगा।

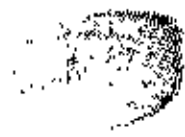
इस विलेख से उत्पन्न या इसके संबंध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, मतभेद प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी उत्पन्न होता है तो इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यव होगा, केवल इस विलेख से उत्पन्न या इसके संबंध में या इसके विषय पर यदि कोई भी

का भुगतान करेगा।

में केवल इस समय देय करों का अधिकांश पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों भूखण्ड/भवन या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध प्रभावी विधि नियमों विनियमों के अधीन प्रयोग या हस्तांतरित कर सकेंगा भूखण्ड/भवन पर केवल को निजी स्वामित्व प्राप्त हो जायेगा वह उसे स्वच्छता से इस विलेख के निष्पादन के दिन तक से इसकी अनुसूची में वर्णित

में रखेगी।

और केवल उसके दायाधिकारी तथा समनुवैहिली सदा के लिये उसे अपना अधिकार और फ्री-होल्ड घोषित करते हैं और उस केवल को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं जो स्पष्टीकरण के लिये इस विलेख से संलग्न साइट प्लान में प्रदर्शित किया है उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया है, और केवल पालन करेगा, को ध्यान में रखकर विक्रेता एतद् द्वारा वह राशि भवन/भूखण्ड किये गये भुगतान के प्रतिकलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसविदाओं और शर्तों तिनका केवल द्वारा विक्रेता को फ्री-होल्ड ब्लॉक सहित भूखण्ड/भवन के सम्पूर्ण मूल्य के वर्णित भूखण्ड/भवन केवल के पक्ष में (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु



Handwritten signature.

Handwritten signature and the word 'तः'.

विकेला का अधिकार होगा कि यह याचिका धनराशि भू-साजसज के रूप में वर्णित कर यदि उक्त धनराशि केला द्वारा निर्धारित समयावधि में अदा नहीं की जाती तो ऐनदर्थ धनराशि का भुगतान भूग पत्र की प्राप्ति के 3 माह की अवधि में कर देगा। अनुयायिक आधार पर करने हेतु बाध्य है। उपर्युक्त परिस्थितियों में विकेला द्वारा धनराशि का भुगतान धारित भूमि के क्षेत्रफल भू-विन्यास से-आउट प्लान के भुगतान हेतु केला सहमत है एवं प्रसविदा करता है कि उपर्युक्त वृद्धि की गयी दिया गया हो तो उसके भुगतान का दायित्व स्वतः केला का होगा तथा इसके (प्रतिकर), लौषण (सोलेसियम) एवं इस मूल में ब्याज आदि की कोई वृद्धि का आदेश और किसी भी न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिणाम स्वरूप भुगतान राशि सम्बन्धित कोई सम्पत्ति/अपील/समादेश याचिका/विशेष याचिका दायर की गई भी दिया जा चुका है, फिर भी यदि पूर्व भू-स्वामी द्वारा विधि अर्जित भूमि से यदि आवश्यक भूमि विधिवत अर्जित की गई और अर्जित भूमि का भुगतान

निष्पादकों, प्रबंधकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर भाव है।

में उसके उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का "केला" में उसके दायित्वकारियों, सम्बन्ध में जब तक उनकी इस प्रकार की ब्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, विकेला के यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विवेक में प्रयुक्त शब्द "विकेला" और "केला" के

इस विलेख के साथ में फ़ैला ने और विकला की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन विधियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी हैं।

इसमें अधिदिव्य अनुसूची निम्नांकित है :-

मंडल/भवन संख्या एवं-01 टाइप-एल योजना : चकरी स्थित मोहला कुल क्षेत्रफल 3203.13 वर्गमीटर जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

पूरब : प्लॉट नं० 01

पश्चिम : 30.0 मीटर चौड़ी रोड

उत्तर : 30.0 मीटर चौड़ी रोड

दक्षिण : प्लॉट नं० एम-01

कला निदेशक के द्वारा से तथा उसके द्वारा अधिकृत

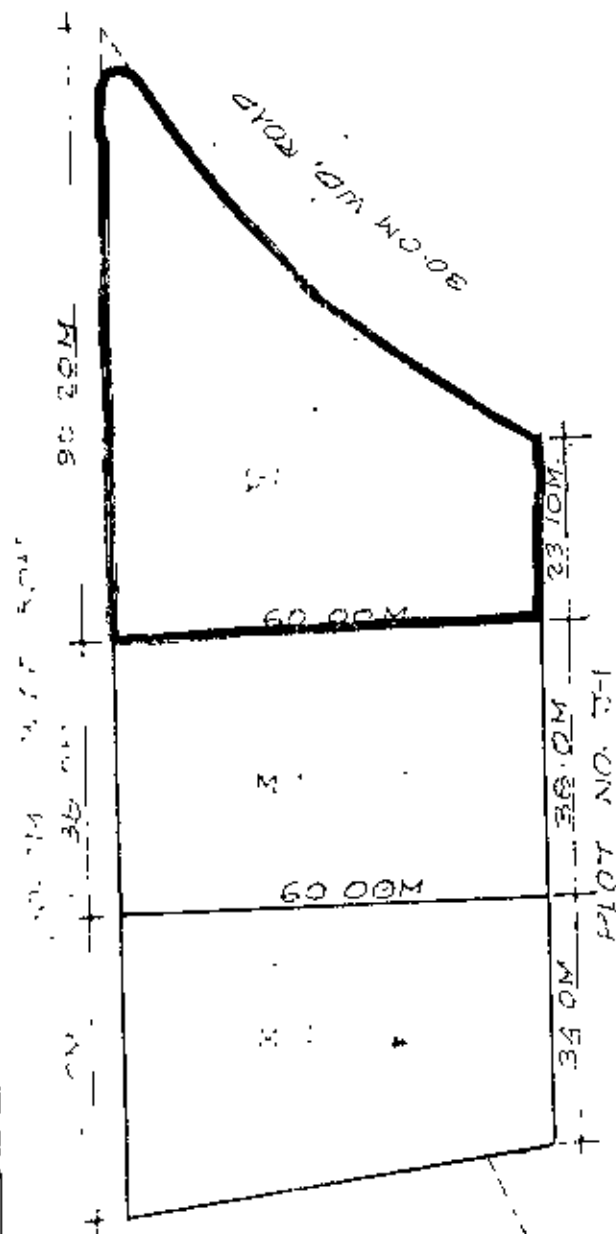
नाम : श्री आनंद कुमार गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता

पता : 121 ई-ब्लाक फेला कला निदेशक नगर, कानपुर नगर

साक्षी (1) *(Signature)* साक्षी (2)

साक्षी (1) *(Signature)* साक्षी (2)

(Signature)



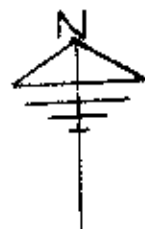
REFERENCE TELEPHONE
OFFICE

SS
D-5-4
Barai

(Kum)

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

PLOT NO.	SIZE	AREA IN SQ. M.
L-1		3203.13 SQ. M.
M-1		2280.00 " "
M-2		2280.00 " "



SITE PLAN OF P. NO. 11-1
M-1, M-2 AT CHAKERI
L.I. & C.F. AREA, G.T.
ROAD, KANPUR.

SCALE: 1:1000

PERMITTED FOR
USE BY CENTRAL P.W.D.

DRAWN BY: R. K. SARKAR

DATE	CHKD BY	FILE NO.

Ranjan

आज दिनांक 20/09/2014 को

वही सं 1 जिल्द सं 6964

पृष्ठ सं 99 से 114 पर क्रमांक 5682

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

Ranjan

श्रीमती कमलेश पाठक

उप निबन्धक (प्रथम)

कानपुर नगर

20/9/2014

